न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
31/2018 प्रा.पत्र/2018	16.04.2018	11.07.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन विक्रेता मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 14 आदिनाथ मन्दिर के पास मालपुरा जिला टोंक।

2–श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ./प्रोपरायटर मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 14 आदिनाथ मन्दिर के पास मालपुरा जिला टोंक

3–श्री सुभाष शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स योगेश फूड प्रोडक्ट, 57 बगराना आगरा रोड जयपुर राज. निवासी 164 हुडको आवास योजना सूरजपोल जयपुर राज.

4–मैसर्स योगेश फूड प्रोडक्ट, 57 बगराना आगरा रोड जयपुर राज.।

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 11/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2017 को समय सायं 3:25 पी.एम. पर मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, कन्फैक्शनरी बिस्किट, मसाले नमकीन आदि व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **रिफाइन्ड पॉम ऑयल अमृत सुख मूल पैक (Refined plam Oil Amrit Sukh Origional pack)** 450 ग्राम के 36 नग तीन पेपर कार्टून में आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री रतन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

लाल जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइन्ड पॉम ऑयल अमृत सुख मूल पैक (Refined plam Oil Amrit Sukh Origional pack)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 450–450 ग्राम के 4 नग मूल पैक हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइन्ड पॉम ऑयल अमृत सुख मूल पैक (Refined plam Oil Amrit Sukh Origional pack)** 450–450 ग्राम के 4 नग मूल पैक को ज्यों का त्यों 1–1 पैक को प्लास्टिक के चार डिब्बों में रखकर, ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1777 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1777 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रतन लाल जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन विक्रेता मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया एवं श्री पवन एजेन्सीज ने मैसर्स योगेश फूड प्रोडक्ट, 57 बगराना आगरा रोड जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4787 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./739/एक्ट/2017/747 दिनांक 20.11.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइन्ड पॉम ऑयल अमृत सुख मूल पैक (Refined plam Oil Amrit Sukh Origional pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार अवमानक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Substandard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र कुछ मानकों पर अन्तर होने के कारण उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइन्ड पॉम ऑयल अमृत सुख मूल पैक (Refined plam Oil Amrit Sukh Origional pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइन्ड पॉम ऑयल अमृत सुख मूल पैक (Refined plam Oil Amrit Sukh Origional pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

11/7/25

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक